

पत्रांक - 15/10-
 जिला में, शाखा जल संकलन, आदीर 621
 कंड आजादापुर

अनुसूची 21 - अथर्व सं. 2111

संपत्ति - अविभाज्य - प्रमाण - पत्र

दस्तावेज सं. - - 104/20

दस्तावेज सं. 871/20/1920/197

यदि भी Just Sanjaya Ram के पुराने मूल कावेदन किता कि विभाज्य संपत्ति के
 अभाव में विभाज्य संपत्ति को और अधिकारी का अधिकार प्रमाण देना दिया जाय ।
 (आदेश में दिये गये कथ के अनुसार व्यवहार है)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि एक संपत्ति की प्रमाणित करीपाति संपत्तियों के और अधिकारी
 के बारे में वही 1 में और अपने सम्बन्ध अनुसूची में सं. 07.01.1920 के सं. आजादापुर 1020
 एक संसादी की गई और ऐसी मुलाही के साथ विभाज्य संपत्तियों और अधिकारी और अधिकारी का पता पता :-

क्रम संख्या	अविभाज्य (क) संपत्ति का विवरण	विभाजन (ख) दस्तावेज का को प्रकार और मूल		पक्षों का नाम		दस्तावेज का वर्णित है प्रति विवेक		
		विभाजन को तारीख	प्रकार और मूल	विभाजन	दावेदार	कितने संख्या	वर्ष	पृ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>मौजा - जिला 63 (उर्फ 223) आराम नर - 415 बाड़ी नर - 0 - जिला नर नरि नर - 22 जिला नर - 10769 - 10769 नर</p>							

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।
- (ख) 1 अथर्व-पत्र की दशा में, ध्यान को दर और दूनहान की अवधि दर्ज करें । बस कि इसके बारे में ज्ञान हो ।
 2 वही की दशा में पत्र की अवधि और लगान दर्ज करें ।